न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 07/2011 G.C.M.S. No. 2011/00057 दर्ज दिनांक : 07.07.2011

अपीलार्थिगण:

देवीसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री सोहनसिंह राजपुरोहित, निवासी इन्दरवाडा, तहसील देसूरी, जिला पाली (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, देसूरी, जिला पाली (राज.)
2. ग्राम पंचायत भादरलाउ, जरिये सरपंच महोदय, तहसील देसूरी जिला पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. सरकारी पैरोकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री मोहनलाल वर्मा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2

निर्णय

दिनांकः 09/10/2024

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखंड अधिकारी देसूरी द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 के अन्तर्गत पारित आवंटन आदेश क्रमांक/प्र.गा. सं/शिविर/2010/957 के विरूद्ध पेश की गई, साथ ही प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया, जो संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलांट इलेक्ट्रीकल इंजीनीयर का 1966 का डिप्लोमा होल्डर है, जिस संदर्भ में ऐसे इंजीनियर्स एवं डिप्लोमा होल्डर्स के संबंध में भारत सरकार द्वारा एक योजना बनाई गई थीं। उक्त योजना के अनुसरण में ऐसे व्यक्तियों को बैंकों से ऋण तथा सरकार से भूमि उपलब्ध करवाई जाने की योजनाएं बनी। इस योजना के तहत अपीलांट का चयन राजस्थान में किया गया एवं जिसके फलस्वरूप ग्राम सोमेसर के गत खसरा नंबर 195 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, के हाल खसरा नंबर 108 रकबा 0.34 हैक्टेर भूमि जिला कलक्टर पाली द्वारा उनके आदेश संख्या रेवेन्यू/73/2240 दिनांक 27.12.1974 धारा 92 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत औद्योगिक प्रयोजनार्थ [illegible] स्थापित करने हेतु पृथक कर अपीलांट को आवंटित की गई एवं कब्जा अपीलांट [illegible] सुपुर्द किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। उक्त आदेश को माननीय जिला कलक्टर पाली द्वारा अपीलांट को विधिवत नोटिस तामिल करवाये बिना एंव अपीलांट को साक्ष्य, सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना आदेश संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:48:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

एफ.12 (3)(33)बैच/89 पृष्ठांकन संख्या/सम/9620–24 दिनांक 04.08.89 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश की जानकारी पश्चात्वर्ती क्रम में अपीलांट को होने पर अपीलांट की ओर से जिला कलक्टर पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.89 के विरूद्ध श्रीमान् के न्यायालय के समक्ष राजस्व अपील संख्या 518/89 प्रस्तुत कर चुनौती प्रस्तुत की गई। जिस पर श्रीमान् न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 06.08.1994 के जरिये उक्त अपील स्वीकार की गई एवं अपीलाधीन आदेश अपास्त करते हुए अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर पाली) को निर्देश प्रदान कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। श्रीमान के न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के पश्चात् आज दिनांक तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया एवं न इस संदर्भ में अपीलांट को कोई नोटिस प्राप्त हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में कोई कार्यवाही की गई है अथवा नही ? इस संबंध में अपीलांट द्वारा काफी प्रयास किये गये, किन्तु अब तक कोई जानकारी नहीं मिलने पर अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा जिला कलक्टर पाली को प्रेषित की गई पत्रावलियों की सूची प्राप्त कर उक्त अपील श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलांट के पक्ष में आवंटन आदेश विधिवत रूप से आज दिन तक प्रभावी है एवं पूर्व में जिला कलक्टर पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.89 के पश्चात् राजस्व अभिलेख में अपीलांट का नाम हटाकर वादग्रस्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कर लिया गया था, जो कि पश्चात्वर्ती क्रम में सिवायचक ही दर्ज रही। श्रीमान के न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पश्चात् वादग्रस्त भूमि पुनः राजस्व अभिलेख में अपीलांट के नाम दर्ज नहीं की गई। जबकि श्रीमान न्यायालय के आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अपीलांट का नाम पुनः दर्ज किया जाना आज्ञापक था। जिला कलक्टर पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.1989 के अनुसार वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज की गई। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में किया गया, जो पूर्णतया विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.08.1994 का अवलोकन किये बिना एवं वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व रेकर्ड का अवलोकन किये बिना जैर अपील आदेश के जरिये वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को आवंटित की गई है।

वादग्रस्त भूमि के संबंध में श्रीमान न्यायालय का निर्णय आज दिनांक तक प्रभावी है। ऐसी स्थिति में विधिक रूप से अपीलांट ही वादग्रस्त भूमि के विधिक रूप से आवंटन हेतु पात्र है। केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में नाम हटा दिये जाने से वादग्रस्त भूमि सिवायचक नहीं मानी जा सकती एवं न ही भारहीन मानी जा सकती है, बल्कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट को आवंटनशुदा भारयुक्त भूमि है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि किसी अन्य को आवंटित एवं आरक्षित करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को आवंटित की गई। वादग्रस्त भूमि पर वक्त आवंटन से आज दिनांक तक अपीलांट का कब्जाकाश्त है एवं अपीलांट वादग्रस्त भूमि का उपयोग–उपभोग कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में मौके की जांच किये बिना जैर अपील आदेश पारित किया गया है। उक्त जैर अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:28:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की आड़ में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 मौके पर अपीलार्थी को बेदखल करने एवं उक्त वादग्रस्त आराजी पर निर्माण करने पर आमादा है। जो पूर्णतया विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त भूमि ग्राम सोमेसर के गत खसरा नंबर 195 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, के हाल खसरा नंबर 108 रकबा 0.34 हैक्टेर भूमि जिला कलक्टर पाली द्वारा उनके आदेश संख्या रेवेन्यू/73/2240 दिनांक 27.12.1974 के द्वारा धारा 92 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत औद्योगिक प्रयोजनार्थ एग्रो सर्विस सेंटर स्थापित करने हेतु पृथक कर अपीलांट को आवंटित की गई एवं कब्जा अपीलांट को सुपुर्द किया गया। तब से वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। उक्त आवंटन आदेश को माननीय जिला कलक्टर पाली द्वारा अपीलांट को विधिवत नोटिस तामिल करवाये बिना एंव अपीलांट को साक्ष्य, सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना आदेश संख्या एफ.12 (3)(33)बैच/89 पृष्ठांकन संख्या/सम/9620–24 दिनांक 04.08.89 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश की जानकारी पश्चात्वर्ती क्रम में अपीलांट को होने पर अपीलांट की ओर से जिला कलक्टर पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.89 के विरूद्ध श्रीमान् के न्यायालय के समक्ष राजस्व अपील संख्या 518/89 प्रस्तुत कर चुनौती प्रस्तुत की गई। जिस पर श्रीमान् न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 06.08.1994 के जरिये उक्त अपील स्वीकार की गई एवं अपीलाधीन आदेश अपास्त करते हुए अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करने के संबंध में निर्देश अधीनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर पाली) को प्रदान कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। श्रीमान के न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के पश्चात् आज दिनांक तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई नोटिस जारी नही किया गया एवं न इस संदर्भ में अपीलांट को कोई नोटिस प्राप्त हुआ। इस प्रकार पश्चात्वर्ती क्रम में अपीलांट का आवंटन प्रभाव में होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में किया गया। जैर अपील आदेश से अपीलांट प्रभावित एवं व्यथित पक्षकार है एवं अपीलांट को वादग्रस्त भूमि के संबंध में पारित जैर अपील आदेश को चुनौती दिये जाने बाबत् अपील प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करावें।

इसके पश्चात् विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के संबंध में बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट को जैर अपील आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.06.2011 को हुई, जब ग्राम पंचायत का ग्राम सेवक एवं पटवारी मौके पर आकर नाप–चौप करने लगे, जिस पर अपीलांट द्वारा मना कर अपीलांट द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि अपीलांट को आवंटनशुदा है। जिस पर दोनों कार्मिकों द्वारा अपीलांट को यह बताया गया कि उक्त भूमि का आवंटन ग्राम पंचायत के नाम हो चुका है एवं इस भूमि पर भूखंड काटकर विक्रय किये जायेंगे एवं साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण करवाया जायेगा। इसके पश्चात् अपीलांट कार्यालय उपखंड अधिकारी देसूरी में गया एवं इस संदर्भ में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लिये जाने हेतु आवेदन पेश कर नकलें प्राप्त की। इसके पश्चात पाली आकर अधिवक्ता से संपर्क किया एवं संपूर्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:28:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

कागजात बताने पर अधिवक्ता द्वारा श्रीमान् द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.94 के अनुसरण में जिला कलक्टर पाली द्वारा की गई कार्यवाही के संदर्भ में जानकारी लिये जाने की राय बताई गई। जिसके पश्चात् अपीलांट पिछले 20 दिनों से लगातार जिला कलक्टर पाली के कार्यालय मे चक्कर काट रहा है एवं अन्त में थक–हारकर दिनांक 17.06.2011 को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन पेश किया। इसके बावजूद आज दिनांक तक इस संदर्भ मे कोई जानकारी अपीलांट को उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसके पश्चात् अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य, सबूत व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलांट की अनुपस्थिति में जैर अपील आदेश पारित किया गया। इस प्रकार अपीलांट को जैर अपील आदेश की जानकारी दिनांक 15.06.2011 को होने से उक्त अपील अंदर म्याद अवधि प्रस्तुत है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में जान–बूझकर देरी नहीं की गई हैं, बल्कि उपरोक्त जानकारी प्राप्त करने के संदर्भ में समय लगा। अतः समस्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार फरमाया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार फरमाई जावें।

इसके पश्चात् विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट इलेक्ट्रीकल इंजीनीयर का 1966 का डिप्लोमा होल्डर है, जिस संदर्भ में ऐसे इंजीनियर्स एवं डिप्लोमा होल्डर्स के संबंध में भारत सरकार द्वारा एक योजना बनाई गई थीं। उक्त योजना के अनुसरण में ऐसे व्यक्तियों को बैंकों से ऋण तथा सरकार से भूमि उपलब्ध करवाई जाने की योजनाए बनी। इस योजना के तहत अपीलांट का चयन राजस्थान में किया गया एवं जिसके फलस्वरूप ग्राम सोमेसर के गत खसरा नंबर 195 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, के हाल खसरा नंबर 108 रकबा 0.34 हैक्टेर भूमि जिला कलक्टर पाली द्वारा उनके आदेश संख्या रेवेन्यू/73/2240 दिनांक 27.12.74 के द्वारा धारा 92 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत औद्योगिक प्रयोजनार्थ एग्रो सर्विस सेंटर स्थापित करने हेतु पृथक कर अपीलांट को आवंटित की गई एवं कब्जा अपीलांट को सुपुर्द किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद किया गया। उक्त आवंटन आदेश को माननीय जिला कलक्टर पाली द्वारा अपीलांट को विधिवत नोटिस तामिल करवाये बिना एंव अपीलांट को साक्ष्य, सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना आदेश संख्या एफ.12 (3)(33)बैच/89 पृष्ठांकन संख्या/सम/9620–24 दिनांक 04.08.89 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश की जानकारी पश्चात्वर्ती क्रम में अपीलांट को होने पर अपीलांट की ओर से जिला कलक्टर पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.89 के विरूद्ध श्रीमान् के न्यायालय के समक्ष राजस्व अपील संख्या 518/89 प्रस्तुत कर चुनौती प्रस्तुत की गई। जिस पर श्रीमान् न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 06.08.1994 के जरिये उक्त अपील स्वीकार की गई एवं अपीलाधीन आदेश अपास्त करते हुए अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करने के संबंध में निर्दे[illegible] न्यायालय (जिला कलक्टर पाली) को प्रदान कर प्रकरण प्रतिप्रे[illegible] पारित उक्त आदेश के पश्चात् आज दिनांक तक अधीनस्थ न्यायालय [illegible] अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया एवं न इस संदर्भ में अपीलांट को क[illegible] नोटिस प्राप्त हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में कोई कार्यवाही की गई हैं अथवा नही ? इस संबंध में अपीलांट द्वारा काफी प्रयास किये गये, किन्तु अब तक कोई जानकारी नही मिलने पर अपीलांट द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:28:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा जिला कलक्टर पाली को प्रेषित की गई पत्रावलियों की सूची प्राप्त कर उक्त अपील श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलांट के पक्ष में आवंटन आदेश विधिवत रूप से आज दिन तक प्रभावी है एवं पूर्व में जिला कलक्टर पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.89 के पश्चात् राजस्व अभिलेख में अपीलांट का नाम हटाकर वादग्रस्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कर लिया गया था, जो कि पश्चात्वर्ती क्रम में सिवायचक ही दर्ज रही। श्रीमान के न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पश्चात् वादग्रस्त भूमि पुनः राजस्व अभिलेख में अपीलांट के नाम दर्ज नहीं गई। इस संबंध में अपीलांट ने जिला कलक्टर पाली एवं भूमिधारी तहसीलदार के समक्ष आवेदन पेश किये गये, किन्तु आवेदन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई एवं न ही श्रीमान के न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना आज दिनांक तक की गई। जबकि श्रीमान न्यायालय के आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अपीलांट का नाम पुनः दर्ज किया जाना आज्ञापक था। केवल मात्र वादग्रस्त भूमि अपीलांट के नाम दर्ज नहीं किये जाने से अपीलांट को उसके हक–हकूक अधिकारों से विधिक रूप से महरूम नहीं किया जा सकता है। अपीलांट द्वारा अब तक प्राप्त की गई जानकारी अनुसार श्रीमान न्यायालय के आदेश की पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं गई है एवं श्रीमान न्यायालय के आदेश की पालना में किसी प्रकार की कोई जानकारी अपीलांट को प्राप्त होने पर अथवा रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसी कोई जानकारी प्रकाश में लाई जाने पर उस संदर्भ में तद्नुसार विधिक कार्यवाही किये जाने के अधिकार अपीलांट सुरक्षित रखते हुए उसके विधिवत् चुनौती दिये जाने का अधिकार अपीलांट सुरक्षित रखता है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की ओर से अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलांट के विरूद्ध कोई आदेश पारित किया भी होगा तो वह अपीलांट के हक–अधिकारों के विरूद्ध विधिक रूप से शून्य होगा। जिला कलक्टर पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.89 के अनुसार में वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज की गई। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में किया गया, जो पूर्णतः विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.08.1994 का अवलोकन किये बिना एवं वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व रेकर्ड का अवलोकन किये बिना जैर अपील आदेश के जरिये वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को आवंटित की गई हैं। वादग्रस्त भूमि के संबंध में श्रीमान न्यायालय का निर्णय आज दिनांक तक प्रभावी है। ऐसी स्थिति में विधिक रूप से अपीलांट ही वादग्रस्त भूमि के विधिक रूप से आवंटन हेतु पात्र है। केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में नाम हटा दिये जाने से वादग्रस्त भूमि सिवायचक नहीं मानी जा सकती एवं न ही भारहीन मानी जा सकती हैं, बल्कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट को आवंटनशुदा भारयुक्त भूमि है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि किसी अन्य को आवंटित एवं आरक्षित करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को आवंटित की गई। वादग्रस्त भूमि पर वक्त आवंटन से आज दिनांक तक अपीलांट का कब्जा काश्त है एवं अपीलांट वादग्रस्त भूमि का उपयोग–उपभोग कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में मौके की जांच किये बिना जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जो पूर्णतया विधि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:28:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश कियेः– (1) 1995 RRD 54(2) 1993 RRD 489 (3) 2007 RRD 724 (4) 1994 RRD 665 (5) 1995 RRD 350

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त भूमि ग्राम सोमेसर के गत खसरा नंबर 195 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, के हाल खसरा नंबर 108 रकबा 0.34 हैक्टेर भूमि जिला कलक्टर पाली के आदेश क्रमांक/रेवे/एफ.12/2/9/रेवे/73/4420 के द्वारा धारा 92 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत औद्योगिक प्रयोजनार्थ एग्रो सर्विस सेंटर स्थापित करने हेतु अपीलांट को अवश्य आवंटन की गई थीं, किन्तु अपीलांट द्वारा उपरोक्त आवंटित भूमि जिस प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थीं, उसका उपयोग 15 वर्षों तक नहीं किये जाने एवं वादग्रस्त भूमि मौके पर खाली पड़ी होने के कारण जिला कलक्टर पाली द्वारा आदेश संख्या एफ.12 (3)(33)बैच/89 पृष्ठांकन संख्या/सम/9620–24 दिनांक 04.08.89 के जरिये अपीलांट के पक्ष में जारी पूर्ववर्ती आवंटन आदेश निरस्त किया गया। जिसके फलस्वरूप वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज की गई। इसके पश्चात् वादग्रस्त भूमि जैर अपील आदेश के जरिये आबादी प्रयोजनार्थ हेतु ग्राम पंचायत भादरलाउ के लिये आरक्षित/आवंटन की गई एवं उक्त आदेश की पालना में वादग्रस्त भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 का नाम राजस्व रेकर्ड अमल–दरामद हो चुका है। वादग्रस्त भूमि पर आज दिनांक को मौके पर पंचायत भवन बनकर संचालित है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं था एवं न आज दिनांक को कब्जा काश्त है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा उक्त अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की गई एवं अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का कोई सद्भाविक कारण प्रार्थना पत्र में दर्शित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों में विहित आज्ञापक प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाहर एवं बलहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

1. हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तथा बहस के दौरान प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 एवं प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के संबंध में निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन से यह विदित होता है कि हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त भूमि आवंटित किये जाने से पूर्व जिला कलक्टर पाली के आदेश क्रमांक Rev/F.12[2][9]R...73/...10 Dated 27-12-74 के द्वारा अपीलांट को आवंटित की गई थी। इसके पश्चात् कलक्टर पाली द्वारा अपने आदेश क्रमांक/एफ.12(3)(33)बेच/99 दिनांक 04.08.81 के जरिये अपीलांट के पक्ष में पूर्व में आवंटित वादग्रस्त भूमि का आवंटन निरस्त किया गया एवं उक्त आदेश की पालना में वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज की गई। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:28:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन जैर अपील आदेश के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को किया गया है। हालांकि जैर अपील आदेश आवंटन नियमों में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए किया गया है अथवा नहीं ? इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने के पश्चात् गुणावगुण पर ही निस्तारण किया जावेगा। किन्तु जैर अपील आदेश के जरिये वादग्रस्त भूमि के संबंध में निस्तारण किया जाना है, जिससे निश्चय ही अपीलांट प्रभावित होगा। अतः समस्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपील पर गुणावगुण के आधार पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है एवं अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने बाबत् अनुमति प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रकरण में जहां तक म्याद का प्रश्न है तो अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में अपील प्रस्तुत करने में हुई विलम्बित अवधि के जो सद्भाविक कारण बताए है, वह पर्याप्त एवं संतोषजनक प्रतीत होते हैं। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब अवधि को क्षमा किया जाता है।

2. अब प्रकरण में जहां तक गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त भूमि ग्राम सोमेसर के गत खसरा नंबर 195 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, जिला कलक्टर पाली के आदेश क्रमांक **Rev/F.12[2][9]Rev/73/4420 Dated 27-12-74** के द्वारा अपीलांट को आवंटित की गई थीं। इसके पश्चात् पटवारी हल्का भादरलाउ एवं तहसीलदार देसूरी की मौका रिपोर्ट अनुसार आवंटित भूमि का उपयोग एग्रो सर्विस सेंटर हेतु नहीं किये जाने एवं मौके पर भूमि खाली पड़ी होने के आधार पर जिला कलक्टर पाली ने अपने आदेश क्रमांक/एफ. 12(3)(33)बेच/99 दिनांक 04.08.89 के जरिये अपीलांट के पक्ष में पूर्व में आवंटित वादग्रस्त भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष अपील संख्या 518/89 प्रस्तुत की गई। उक्त अपील के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 06.08.1994 के जरिये अपील स्वीकृत की जाकर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः अपना विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाने का निर्देश प्रदान किया गया।

अधिवक्ता अपीलांट ने उक्त अपील के अन्तर्गत मुख्यतः वादग्रस्त भूमि के संबंध में जिला कलक्टर पाली द्वारा पूर्व में पारित आवंटन आदेश को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा बहाल किये जाने एवं वादग्रस्त भूमि अपीलांट का आज दिनांक तक कब्जा होना जाहिर किया है।

इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय [illegible] पारित निर्णय दिनांक 06.08.1994 की फोटोप्रति का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय [illegible] अपील अपीलांट स्वीकृत की जाकर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः अपना विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निर्देश प्रदान किया गया है। उक्त निर्णय के अन्तर्गत जिला कलक्टर पाली द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में पारित आवंटन निरस्ती आदेश क्रमांक/एफ.12(3)(33)बेच/99 दिनांक 04.08.89 को निरस्त/अपास्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhasker Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:28:57 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

कर आवंटन आदेश पुनः बहाल किये जाने के संबंध में किसी प्रकार का आदेश न्यायालय हाजा द्वारा नहीं किया गया है। उक्त निर्णय में केवल मात्र अपील अपीलांट स्वीकृत की जाकर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः अपना विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है। इस प्रकार न्यायालय हाजा द्वारा जिला कलक्टर पाली द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में पारित आवंटन निरस्ती के आदेश के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 06.08.1994 के जरिये किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। प्रकरण में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा जो न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें मुख्यतः आवंटित भूमि किसी अन्य को आवंटित नहीं किये जाने के संबंध में प्रतिपादित किया गया है, जबकि हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में जिला कलक्टर द्वारा आवंटन निरस्त किये जाने के संबंध में पारित आदेश क्रमांक/एफ.12(3)(33)बेच/99 दिनांक 04.08.89 को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक निरस्त कर अपीलांट के पक्ष में आवंटन बहाल किये जाने का आदेश पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त उद्धरण हस्तगत प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि पर वक्त आवंटन से निरन्तर कब्जा होने के संबंध में कथन किये हैं। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध जिला कलक्टर पाली के आदेश क्रमांक/एफ.12(3)(33)बेच/99 दिनांक 04.08.89 की फोटोप्रति का अवलोकन किया गया है। उक्त आदेश के अन्तर्गत यह अंकन किया गया है कि "प्रशासन गांवों की ओर राजस्व अभियान में कैम्प भादरलाउ में दिनांक 29.05.89 को पटवारी हल्का भादरलाउ व तहसीलदार देसूरी ने अवगत कराया कि उक्त आवंटित भूमि का उपयोग आज तक एग्रो सर्विस सेंटर हेतु नहीं किया जाकर मौके पर खाली पड़ी हुई हैं।" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि मौके पर खाली पड़ी हैं, एवं वादग्रस्त भूमि अपीलांट को जिस प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थीं। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि का उपयोग नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार हों कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट का निरंतर कब्जा हों एवं अपीलांट द्वारा भूमि आवंटन की शर्तों एवं प्रयोजन को सिद्ध किया हों। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कभी कोई कब्जा होना पूर्णतया साबित नहीं हैं। इस प्रकार अपीलांट वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा यह अवगत कराया है कि विवादित भूमि ग्राम पंचायत भादरलाउ को आवंटित होकर ग्राम पंचायत के नाम दर्ज हों चुकी हैं तथा मौके पर ग्राम पंचायत भवन निर्मित होकर संचालित है। अपीलांट का यह कथन कि न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 06.08.1994 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदिनांक तक अपीलांट की सुनवाई कर कोई विधिसम्मत आदेश पुनः पारित नहीं किया गया है, के संबंध में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रथम तो केवल इस आधार पर कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 06.08.1994 की पालना में कोई नवीन आदेश पारित नहीं किया है, के आधार पर भू–अभिलेख में दर्ज सिवायचक भूमि को सक्षम अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत को आवंटित किये जाने को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, दूसरा अपीलांट का यह कर्तव्य था कि वह अधीनस्थ न्यायालय के सम्मुख अपने प्रकरण की समुचित पैरवी करता लेकिन अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह विश्वास किया जाये कि उसके द्वारा वर्ष 1994 के पश्चात से वर्तमान तक इस संबंध में कोई पैरवी/कार्यवाही की हों।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:28:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

इससे यह भी साफ जाहिर होता है कि अपीलांट न केवल उदासीन है बल्कि न्यायालय हाजा के समक्ष स्वच्छ हाथों से भी उपस्थित नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये आवंटन नियमों में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए राजस्व रेकर्ड में दर्ज सिवायचक भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में आवंटित की गई हैं, जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपीलाण्ट अपील को साबित करने में पूर्णतया विफल रहा है। उपखंड अधिकारी देसूरी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2010 में किसी प्रकार की विधिक या प्रक्रियागत त्रुटि साबित नहीं होती हैं, लिहाजा अपील अपीलांट खारिज/अस्वीकार करते हुए उपखंड अधिकारी देसूरी द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 के अन्तर्गत पारित आवंटन आदेश क्रमांक/प्र.गा. सं/शिविर/2010/957 दिनांक 30.12.2010 को यथावत रखा जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध प्रत्यर्थिगण सारहीन होने एवं नासाबित होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। उपखंड अधिकारी देसूरी द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 के अन्तर्गत पारित आवंटन आदेश क्रमांक/प्र.गा.सं/शिविर/2010/957 दिनांक 30.12.2010 को यथावत रखते हुए पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **09.10.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:28:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner